न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3, अयोध्या
उपस्थितः- जनार्दन प्रसाद यादव, एच.जे.एस.
J.O.CODE- UP 6431

Misc No- 91/2022
Computer Registration No- 1243/2022
C.N.R.No- UPFZ0-1007337-2022

दिनांकः- 01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। वादिनी मुकदमा नुरसत परवीन द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रकरण से संबंधित प्रकरण इजराय वाद संख्या 01/25 बउनवान इलियास बनाम नुसरत परवीन तथा दफा - 47 जा०दी० वाद सं०प्र० 23/25 मे पक्षो में न्यायालय लघुवाद में सुलह हो गई है तथा प्रश्नगत विवादित दुकान का वास्तविक कब्जा मालिक डिग्रीदार को दे दिया है। कोई विवाद नहीं रह गया है। प्रार्थिनी उक्त वाद पर बल नहीं देना चाहती है तथा अपनी case को उठाने हेतु प्रार्थना पत्र दे रही है। जि वाद का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। उक्त वाद का निस्तारण बल न देने के कारण उठाये जाने निरस्त कर दाखिल दफ्तर पत्रावली किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उक्त वाद को उठाये जाने की अनुमित प्रार्थिनी को प्रदान किया जावे। तद्नुसार खर्चा मुकदमा से बरी कर, पत्रावली निरस्त कर दाखिल दफ्तर किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि कोई आपत्ति नहीं है।

परिशीलन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा वाद समाप्त किये जाने की याचना की गई है न्याय का यह नैसर्गिक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय के मत में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य मे वादी को बिना शर्त वाद उठाने की अनुमति प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादिनी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O.CODE- UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 3, अयोध्या

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.06.01 16:33:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court